

कार्यालय आदेश

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974) के नियम 6 व 12 के संदर्भ में नगर निगम जयपुर हैरिटेज सीमा में स्थित भूमियों की आरक्षित दर निर्धारण की बैठक में दिनांक 21.09.21 को माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में निम्न लिखित योजनाओं/कॉलोनियों की आरक्षित दरों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-

-:समिति का निर्णय:-

आरक्षित दर उस क्षेत्र की डी.एल.सी. दर जो कि 20,000/- तक तो वही डी.एल.सी. दर आरक्षित दर मानी जावेगी व 20,000 से अधिक डी.एल.सी. दर होने पर उस बढ़ी हुई डी.एल.सी. दर का 40% 20,000 में जोड़कर उस क्षेत्र की आरक्षित दर मानी जावेगी।

नोट:- आरक्षित दरें 1000 के गुणक में होगी। (जैसे यदि दरें 14001 से 14499 आ रही है, तो 14000 व 14500 से 14999 होने पर 15000 मानी जावेगी।

उदाहरण:-

4. किसी क्षेत्र की डी.एल.सी. दर 14,000/- है, तो आरक्षित दर भी 14,000/- होगी।
5. किसी क्षेत्र की डी.एल.सी. दर 20,000/- है, तो आरक्षित दर भी 20,000/- होगी।
6. किसी क्षेत्र की डी.एल.सी. दर 30,000/- है, तो आरक्षित दर 24000/- होगी।

(डी.एल.सी. = 30000, बढ़ी हुई डी.एल.सी. दर 30000-20000 = 10000 X 40% = 4000,
अतः आरक्षित दर 20000+4000 = 24000)।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना की आरक्षित दर	विशेष विवरण
1.	अजमेर रोड न.नि. हैरिटेज की सीमा में।	27,000	आवासीय
2.	आदर्श नगर	23,000	आवासीय
3.	अमृतपुरी	12,000	आवासीय
4.	अनाज मण्डी चांदपोल	22,000	आवासीय
5.	आटोमोबाईल नगर	23,000	आवासीय
6.	सम्पूर्ण बनीपार्क	27,000	आवासीय
7.	वर्मिज कॉलोनी	21,000	आवासीय
8.	आगरा रोड (घाट की गुणी सीमा तक उत्तरी भाग)	27,000	व्यावसायिक
9.	वरवाडा हाउस (अजमेर रोड)	21,000	आवासीय
10.	एम.आई. रोड एवं पाँच बस्ती से सांगानेरी गेट तक उत्तरी भाग	27,000	आवासीय
11.	वरसी सीतारामपुरा	19,000	आवासीय
12.	वोम्बे वाला वाग के पिछे (अजमेर रोड)	21,000	आवासीय
13.	भगत वाटिका	23,000	आवासीय
14.	भागीरथ कॉलोनी	19000	आवासीय
15.	सी-स्कीम	31,000	आवासीय
16.	भवानी सिंह रोड	31,000	आवासीय
17.	चौमू हाउस	27,000	आवासीय

18.	सिविल लाईन	28,000	आवासीय
19.	डी0 पी0 कॉलोनी, (सीकर हाउस के पास)	17,000	आवासीय
20.	दिल्ली बाईपास मैन रोड	22,000	आवासीय
21.	धुलेश्वर गार्डन	29,000	आवासीय
22.	फतेह सिंह की धर्मशाला	38,000	व्यावसायिक
23.	फतेह टीवा	22,000	आवासीय
24.	गोपाल बाडी	25,000	आवासीय
25.	हाथी बावू का बाग	23,000	आवासीय
26.	हथरोई बावडी कच्ची बरती, अजमेर रोड	16,000	आवासीय
27.	हथरोई गढी, हथरोई फोट	28,000	आवासीय
28.	हथरोई पी0एन0टी	28,000	आवासीय
29.	हवा सडक मैन रोड	31,000	आवासीय
30.	गोलीमार गार्डन नगर निगम कॉलोनी, आमेर रोड,	10,000	आवासीय
31.	जालपुरा	21,000	आवासीय
32.	जमना डेयरी	18,000	आवासीय
33.	जयन्ती मार्केट	80,000	व्यावसायिक
34.	जोबनेर बाग	19,000	आवासीय
35.	कच्ची बरसी	7,000	आवासीय
36.	केशव नगर	21,000	आवासीय
37.	खण्डेला हाउस	45,000	व्यवसायिक
38.	लोहा मण्डी	12,000	आवासीय
39.	सुभाष नगर (शास्त्री नगर)	19,000	आवासीय
40.	मैसूर हाउस	28,000	आवासीय
41.	मलसीसर हाउस	21,000	आवासीय
42.	मण्डावा हाउस	22,000	आवासीय
43.	मिरजी का बाग	21,000	आवासीय
44.	मिशन कम्पाउण्ड	21,000	आवासीय
45.	मोती डुंगरी रोड का पूर्वी भाग	24,000	आवासीय
46.	एन0बी0सी0 ऐरिया	15,000	आवासीय
47.	नाहरी का नाका पुर्व	13,000	आवासीय
48.	नवल गढ हाउस	23,000	आवासीय
49.	न्यू कॉलोनी	32,000	आवासीय
50.	निर्माण मार्ग	26,000	आवासीय
51.	पालडी मीणा	9,000	आवासीय
52.	ऋषि गालव नगर	6,800	आवासीय
53.	सैन कॉलोनी	19,000	आवासीय
54.	नगर परिषद कॉलोनी, कँवर नगर	12,000	आवासीय
55.	पार्क हाउस सम्पूर्ण भाग	28,000	आवासीय
56.	सेटी कॉलोनी	23,000	आवासीय
57.	शास्त्री नगर	16,000	आवासीय
58.	सीकर हाउस	19,000	आवासीय
59.	सिन्धी कॉलोनी आदर्श नगर	23,000	आवासीय
60.	सोडाला	23,000	आवासीय
61.	स्टेशन रोड	30,000	आवासीय
62.	सुभाष नगर (शॉपिंग सेन्टर)	45,000	व्यवसायिक
63.	सुशील पुरा	21,000	आवासीय
64.	संसार चन्द्र रोड	28,000	आवासीय

(Handwritten signature)


65.	तिलक नगर व पत्रकार कॉलोनी	28,000	आवासीय
66.	वनस्थली मार्ग	29,000	आवासीय
67.	जनता कॉलोनी	23,000	आवासीय
68.	जलमहल	10,000	आवासीय
69.	आमेर रोड जोरावर सिंह गेट के बाहर से	15,000	आवासीय
70.	ट्रक स्टेण्ड (ट्रांसपोर्ट नगर)	23,000	आवासीय
71.	न्यू राजापार्क (आधा भाग)	28,000	आवासीय
72.	आर.पी.ए. रोड (नाला योजना)	19,000	आवासीय
73.	पुरोहित जी का बाग (एम आई रोड)	27,000	आवासीय
74.	जनता मार्केट, कँवर नगर	24,000	आवासीय
75.	सुन्दर सिंह भडारी नगर (स्वेज फार्म, सोडाला)	17,000	आवासीय

शर्तें:-

- उपरोक्त आवासीय आरक्षित दरें 80 फीट (24 मीटर) की चौड़ाई वाली सड़क तक लागू होगी। 80 फीट से अधिक एवं 100 फीट (30 मीटर) तक की सड़क चौड़ाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक दर तथा 100 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगी। कॉर्नर के भूखण्डों में अधिकतम चौड़ाई वाली सड़क की आरक्षित दरें लागू होगी।
- वाणिज्यिक दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा या व्यवसायिक डी0एल0सी0 दर से उक्त Formula से निकली दरों में जो ज्यादा होगी वो मान्य होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर, आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- आरक्षित दरें निकालने के लिए डी0एल0सी0 दर Exterior एवं Interior में से जो ज्यादा होगी, उस पर निकाली जावेगी।
- यदि भूखण्ड कॉर्नर का है, तो 10 प्रतिशत अधिक (EXTRA) और लिया जावेगा।
- यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है, तो अधिक दर ही प्रभाव होगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिए आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो, तो आयुक्त एवं महापौर, नगर निगम द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- चार दीवारी क्षेत्र एवं आमेर क्षेत्र में इसी निर्णयानुसार आरक्षित दरें लागू रहेगी।
- जयपुर विकास प्राधिकरण से हस्तान्तरित कॉम्परेटिव कॉलोनियाँ, जिनका 90-ए व 90-बी हो चुका है, उनमें भी यहीं आरक्षित दरें लागू होंगी।
- राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड की योजनाएँ ऋषि गालव नगर, शास्त्रीनगर में आवासन मण्डल की आरक्षित दरें लागू होंगी।
- उपरोक्त लिस्ट की आरक्षित दरों में भिन्नता होने पर उक्त अंकित Formula से आरक्षित दरों का निर्धारण किया जा सकता है।
- इस सूची में अंकित कॉलोनियों के अलावा अन्य कोई कॉलोनियां अंकित होने से रह गई हो, तो उनमें आरक्षित दरों का निर्धारण उक्त अंकित Formula से किया जा सकता है।

यह दरें सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित है।

Ans


(अवधेश मीना)

I.A.S.

आयुक्त

नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर शहर जयपुर।
- श्रीमान निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदया, न.नि.ज. हैरिटेज।
4. निजी सहायक, आयुक्त, न.नि.ज. हैरिटेज।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, न.नि.ज. हैरिटेज।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन।
7. अधिशाषी अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी., जयपुर।
8. जिला कोषाधिकारी, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/निदेशक विधि/मुख्य लेखाधिकारी, न.नि.ज. हैरिटेज।
10. उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय/आयोजना, न.नि.ज. हैरिटेज।
11. गार्ड पत्रावली व अन्य।



उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज